



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 7]
No. 7]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 4, 2007/पौष 14, 1928
NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 4, 2007/PAUSA 14, 1928

वित्त मंत्रालय
(आर्थिक कार्य विभाग)
(बैंकिंग प्रभाग)
(अभिरक्षक का कार्यालय—विशेष न्यायालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 जनवरी 2007

सं. कस्टोडियन/15/2007.—मैं, रेखा गुप्ता, विशेष न्यायालय (प्रतिभूति संव्यवहार सम्बन्धी अपराध विचारण) अधिनियम, 1992 की धारा 3(1) के अन्तर्गत (इसके उपरान्त अधिनियम, से उल्लेखित) द्वारा वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, बैंकिंग प्रभाग के दिनांक 31 मई, 2006 के संख्या 22/4/2003-वित्त (वाल्सूम-II) के अन्तर्गत अभिरक्षक नियुक्त की गई हैं। मैं, निम्नलिखित नामों को उक्त अध्यादेश की धारा 3(2) के अन्तर्गत मुझे दी गई शक्तियों के अन्तर्गत मुझे जानकारी के आधार पर यह सुनिश्चित कर लेने के पश्चात् कि निम्नलिखित व्यक्ति 1 अप्रैल, 1991 के पश्चात् और 6 जून, 1992 व उससे पूर्व, प्रतिभूति संव्यवहार सम्बन्धी अपराधों में लिप्त रहे हैं, भारत के राजपत्र में अधिसूचित करने का आदेश देती हूँ :-

1. श्रीमती रसीला एस. मेहता
श्री हर्षद एस. मेहता की माता
32, माधुली, डॉ. ऐनी बेसेन्ट रोड
वर्ली, मुम्बई-400018
2. श्रीमती रीना एस. मेहता
श्री सुधीर एस. मेहता की पत्नी
32, माधुली, डॉ. ऐनी बेसेन्ट रोड
वर्ली, मुम्बई-400018

चल या अचल या दोनों सभी सम्पत्तियां इन व्यक्तियों या इन्टिडटीस से सम्बन्धित यहां अधिसूचित इस अधिनियम की धारा 3(3) के प्रावधानों के अन्तर्गत अनुलग्न रियासेत को जाती हैं।

रेखा गुप्ता, अभिरक्षक
[विज्ञापन III/TV/असा/155/06]

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Economic Affairs)
(BANKING DIVISION)
(OFFICE OF THE CUSTODIAN—THE SPECIAL COURT)

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th January, 2007

No. Custodian/15/2007.—I, Rekha Gupta have been appointed as Custodian under Section 3(1) of the Special Court (Trial of Offences Relating to Transactions in Securities) Act, 1992 (hereinafter referred to as the Act) vide Government of India, Ministry of Finance, Department of Economic Affairs (Banking Division) Notification No. 22/4/2003-Vig (Vol. II) dated 31st May, 2006. Under the powers and functions entrusted to me under Section 3(2) of the Act and having been satisfied on information received that the persons/entities named below had been involved in the offences relating to transactions in securities after the 1st day of April, 1991 and on or before 6th June, 1992, I hereby notify them :—

- (1) Smt. Rasila S. Mehta
M/o Harshad S. Mehta
32, Madhuli, Dr. Annie Besant Road,
Worli, Mumbai-400018.
- (2) Smt. Rina Sudhir Mehta
W/o Sudhir S. Mehta
32, Madhuli, Dr. Annie Besant Road,
Worli, Mumbai-400018.

All properties, movable or immovable or both, belonging to the persons/entities notified herein, shall stand simultaneously attached by virtue of the provisions of Section 3(3) of the Act.

REKHA GUPTA, Custodian

[ADVT. III/IV/Exty./155/06]